Vh0,l0uxh jktdh; egkfo|ky; fjdkxihvk] ftyk fdUukj d fuf/k ys[kk vof/k 4@2004 ls 3@2011 rd ds vads{k.k esa ikbZ xbZ vfu;ferrkvksa dk lf{kIr lkj

Ø0la0	iSjk la[;k	vfu;ferrk dk lf{kIr lkj
1	पैरा 5	महाविद्यालय के विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों की ₹47,015/–की अनाधिकृत वसूली।
2	पैरा 6	कल्चर एक्टीविटी निधि की वर्ष 2004–05 में विद्यार्थियों से ₹3,320/–की वसूली न करना।
3	पैरा 7	₹5,541/–जुर्माना निधि के गृह परीक्षा निधि में अनियमित रूप से जमा करना।
4	पैरा 8(क)	मैगज़ीन निधि में ₹18,100/–का प्राप्ति समायोजन न करना।
5	पैरा 9	पहचान पत्र निधि में ₹4,000/–प्राप्ति से अधिक व्यय।
6	पैरा 10	₹1,53,160/–के अग्रिम भुगतानों का कई वर्षों से समायोजन न करना।
7	पैरा 14	अग्रिमों से बकाया शेष राषि को देरी से जमा करने के कारण ₹625/–दण्ड ब्याज की राषि वसूल न करना।
8	पैरा 15	गृह परीक्षा निधि से क्रय किए गए ₹11,455/–के कागज़ों का उपयोग न दर्षाना।
9	पैरा 16	युनिवर्सिटी निधि से ₹3,890/–का अनियमित व्यय।
10	पैरा 20	रसीद बुकों का प्राप्ति एवं उपयोग विवरण तैयार न करना।
11	पैरा 21	स्टॉक एवं स्टोर वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना।

Vh0,l0uxh jktdh; egkfo|ky; fjdkxihvk] ftyk fdUukj fgekpy izns'k dh fuf/k ys[kk dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 04@2004 ls 03@2011

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है। शेष बचे अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवष्यक एवं प्रभावषाली कदम उठाए जाएं :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 08@94 ls 03@2004

1	पैरा 2	समाप्त	(अंकेक्षण शुल्क ड्राफ्ट संख्या 464561, दिनांक 22.11.04)
2	पैरा 3(क)	समाप्त	
3	पैरा 3(ख)	समाप्त	
4	पैरा 4(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 5	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
7	पैरा 6	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
8	पैरा 7	समाप्त	(रसीद संख्या 538939, दिनांक 29.05.09 द्वारा ₹39 ⁄ –जमा)
9	पैरा 8	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
10	पैरा 9	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख के रख–रखाव की सत्यापना उपरान्त)
11	पैरा 10(क)	समाप्त	(सम्बन्धित रजिस्टर के रख–रखाव उपरान्त)
12	पैरा 10(ख)	समाप्त	(₹175 ⁄ –रसीद संख्या 551211, दिनांक 22.05.06 द्वारा जमा)
13	पैरा 11	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
14	पैरा 12	समाप्त	(₹1485 ⁄ –दण्ड ब्याज के विभिन्न रसीदों द्वारा जमा)
15	पैरा 13	समाप्त	(₹301 ⁄ –रोकड़ बही पृष्ठ 91, दिनांक 09.06.2006 द्वारा जमा)
16	पैरा 14	समाप्त	(₹5,000 ⁄ –दिनांक 24.11.2004 रोकड़ बही पृष्ठ 71 में जमा)
17	पैरा 15	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
18	पैरा 16	अनिर्णीत	

19	पैरा 17	अनिर्णीत	
20	पैरा 18	अनिर्णीत	
21	पैरा 19	अनिर्णीत	
22	पैरा 20(क)	समाप्त	(रसीद संख्या 551214, दिनांक 22.05.06 द्वारा ₹100/–जमा)
23	पैरा 20(ख)	समाप्त	(रसीद संख्या 475007, दिनांक 24.06.06 द्वारा ₹100/–जमा)
24	पैरा 21(क)	समाप्त	(सम्बन्धित सब वाऊचर की सत्यापना उपरान्त)
25	पैरा 21(ख)	समाप्त	(₹93/–रसीद संख्या 538938 में दिनांक 29.05.09 द्वारा जमा)
26	पैरा 22(क)	समाप्त	(₹3,718.50 खाता संख्या 12455 में दिनांक 14.06.05 को जमा)
27	पैरा 22(ख)	समाप्त	(₹16,655.50 खाता संख्या 12455 में दिनांक 14.06.05 को जमा)
28	पैरा 23	अनिर्णीत	
29	पैरा 24	समाप्त	(₹2,700/–की चालान संख्या 7, दिनांक 22.11.04 द्वारा जमा)
30	पैरा 25	समाप्त	(₹569/–मिश्रित निधि से निकालकर जुर्माना निधि में दिनांक 21.03.2000 को जमा किए गए)
31	पैरा 26(क)	अनिर्णीत	
32	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा 26(ग)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
34	पैरा 27	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राचार्य, आहरण एंव संवितरण अधिकारी तैनात थे :–

Øe l[;k	ikpk;l dk uke	rukrh dh vof/k
1	श्री पी0सी0 शर्मा	01.04.2004 से 10.02.2005
2	डा0 एस0वी0 नेगी	11.02.2005 से 25.06.2006
3	श्री जय भगवान बंसल	26.02.2006 से 31.12.2007
4	श्री प्रेम सिंह नेगी	01.01.2008 से 03.06.2008
5	डा0 एस0बी0 नेगी	04.06.2008 से 31.03.2011

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेष के निधि लेखों अवधि 04/2004 से 03/2011 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री शेरसिंह कायथ, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 02.08.11 से 27.08.11 तक रिकांगपीओ में किया गया। मास 07/04, 11/04, 06/05, 12/05, 08/06, 10/06, 08/07, 10/07, 07/08, 10/08, 07/09, 10/09, 06/10 व 10/10. का चयन विस्तृत जाँच पड़ताल हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पेरों में दिए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

राजकीय महाविद्यालय रिकांगपियों के निधि लेखों अवधि 01.04.2004 से 31.03.2011 तक के अंकेक्षण हेतु ₹49,000/–का अंकेक्षण शुल्क की निम्न विवरणानुसार बनती है :–

foÙkh; o"kZ	o"kZ esa vk; lapf;dk lfgr ¼₹½	vads{k.k 'kqYd dh jkf'k ¼₹½
2004–05	2,86,477.00	7000/–
2005–06	3,44,507.00	7000/–
2006–07	3,33,958.00	7000/–
2007–08	2,29,928.00	7000/–
2008–09	2,55,866.00	7000/–
2009–10	2,93,193.00	7000/–
2010–11	5,39,990.00	7000/–
		₹49000@&

अंकेक्षण शुल्क की ₹49000/–को सहायक नियन्त्रक की अधियाचना संख्या 1079, दिनांक 17.08.11 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–171009 को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया। प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रिकांगपीओ ने उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹49000/–को हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक सीमित के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्या 468297, दिनांक

26.08.2011के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 को भेज दिया था जिसकी सत्यापना अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

4 foÙkh; fLFkfr %&

महाविद्यालय के अवधि 01.04.2004 से 31.03.2011 तक की निधियों की वित्तीय स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''क'' में संलग्न की गई है।

5 egkfo|ky; dk fo|kfFk;ksa ls fuf/k;ksa dh ₹47015@&dh vukf/kd`r olwyh %&

विद्यार्थियों से प्राप्त निधियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक निधि प्राप्त करने के फलस्वरूप विद्यार्थियों से ₹47015/–की अनाधिकृत वसूली की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

o"kZ	fuf/k dk uke	izfr Nk= izfr o"kZ ftruh fuf/k izkIr dh tkuh Fkh	izfr Nk= izfr o"kZ ftruh fuf/k izkIr dh xbZ	izfr Nk= vf/kd olwyh	Nk=ksa dh la[;k	vukf/kd`r :i ls dqy olwyh
2004–05	फर्निचर रिपेयर रिप्लेसमैंट निधि	10.00	20.00	10.00	332	3320.00
2005–06	फर्निचर रिपेयर रिप्लेसमैंट निधि	10.00	20.00	10.00	314	3140.00
2006–07	फर्निचर रिपेयर रिप्लेसमैंट निधि	10.00	20.00	10.00	275	2750.00
2007–08	फर्निचर रिपेयर रिप्लेसमैंट निधि	10.00	25.00	15.00	242	3630.00
2008–09	फर्निचर रिपेयर रिप्लेसमैंट निधि	10.00	25.00	15.00	292	4380.00
2009–10	फर्निचर रिपेयर रिप्लेसमैंट निधि	10.00	25.00	15.00	321	4815.00
2004–05 से 2009–10	पहचान पत्र	5.00	10.00	5.00	1776	8880.00
2004–05 से 2009–10	शारीरिक षिक्षा	10.00	15.00	5.00	1776	8880.00

2005–06 से 2009–10	रैडक्रॉस	–	5.00	5.00	1444	7220.00
						₹47015@&

सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर छात्रों से निधि प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही निधि प्राप्त किया जाना सुनिष्चित किया जाए। अनाधिकृत रूप से विद्यार्थियों से ₹47015/–की वसूली बारे मामला निदेषक, (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष सरकार के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

6 dYpj ,dfVohVh fuf/k dh o"k 2004&05 e fo|kfFk;k l ₹3]320@&dh olyh u djuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान विद्यार्थियों से प्राप्त निधियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2004–05 में 332 विद्यार्थियों से कल्चर एक्टीविटी निधि की ₹10/–प्रति वर्ष की दर से ₹3,320/–की राषि की वसूली नहीं की गई थी जो कि अनियमित है। विद्यार्थियों से कल्चर एक्टीविटी निधि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और उपरोक्त निधि की उचित माध्यम से वसूली करके निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

7 ₹5]541@&dh tekuk jkf'k dk xg ijh{kk fuf/k e vfu;fer :i l tek djuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यार्थियों से मास 01/2011 में प्राप्त जुर्माना राषि को जुर्माना निधि में जमा न करके गृह परीक्षा निधि में जमा की गई थी जो कि अनियमित है। ₹5,541/–की राषि को गृह परीक्षा निधि से निकासी करके जुर्माना निधि खाते में जमा किया जाए और अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 ekx thu fuf/k

ekx thu fuf/k l fd, x, O;; dh iMrky dju ij fuEufyf[kr vfu;ferrk,i ikbZ xbZ ¼&

¼d½ ₹18]100@&dh jkf'k dk ikfIr l vf/kd O;; ¼&

मैगज़ीन निधि से मैगज़ीन छापने व क्रय करने पर किए गए व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि जितनी राषि विद्यार्थियों से मैगज़ीन निधि की प्राप्त की जा रही थी उससे अधिक व्यय मैगज़ीन की खरीद पर किया जा रहा था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। वर्ष 2001–02 व 2004–05 के दौरान मैगज़ीन निधि से 18100/–की राषि का व्यय प्राप्ति से अधिक किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है प्राप्ति से अधिक व्यय के कारण महाविद्यालय को ₹18100/–की हानि हुई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्राप्ति से अधिक व्यय की गई राषि का सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा

₹18100 / –की राषि का उचित माध्यम से वसूली करके मैगज़ीन निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए :–

jk 0 i0	fnukd	0;; jkf'k	ftl l= gsrq eSxthu [kjhnh xbZ	eSxthu dh ek=k	izfr eSxthu 0;;	Nk= eSxthu fuf/k	izfr eSxthu vf/kd 0;;	fo|kfFk;ksa ls izkIr jkf'k	dqy vf/kd 0;;
20	26.08.02	24000	2001–02	600	40.00	25.00	15.00	8825	15175
25	26.07.04	10500	2004–05	300	35.00	25.00	10.00	7575	2925
									₹18100

¼[k½ ₹1365@&dh jkf'k dk vuko';d 0;; ½&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय की मैगज़ीन की 300 प्रतियों का वर्ष 2004–05 में मुद्रण किया गया था। मैगज़ीन के बंटवारे से सम्बन्धित रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण की अवधि तक कुल 261 मैगजीनों का बंटवारा किया गया था और मैगज़ीनों की 39 प्रतियों शेष पड़ी थी इस प्रकार ₹1365 / –की राषि का निम्नविवरणानुसार अनावष्यक व्यय किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनावष्यक रूप से व्यय की गई राषि की उचित स्त्रोत से वसूली करके निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

fnukd	Ø; dh xbZ eSxthu dh ek=k	fo|kfFk;ksa o vU; dks tkjh dh xbZ ek=k	y[kk ijh{kk gksus rd 'ks"k eSxthu dh ek=k	'ks"k eSxthuksa dk dqy eY; o vuko';d 0;;
26.07.04	300	261	39	1365 / –

9 igpku i= fuf/k

okÅpj l[;k 242] fnukd 19-09-2007] jkf'k ₹9000@& ½&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹9000 / –का भुगतान मैं0 निगम प्रिंटिंग प्रैस रिकांगपीओ को 1000 पहचान पत्र क्रय करने के लिए ₹9 / –प्रति पहचान पत्र की दर से किया गया था। इस वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2007–08 के दौरान विद्यार्थियों से पहचान पत्र निधि ₹5 / –प्रति विद्यार्थी प्राप्त की गई थी। ₹5 / –प्रति विद्यार्थी पहचान पत्र निधि प्राप्त करके ₹9 / –प्रति पहचान पत्र व्यय करने पर 1000 पहचान पत्र क्रय करने पर ₹4000 / –का प्राप्ति से अधिक व्यय किया गया था। प्राप्ति से अधिक व्यय करने का औचित्य

स्पष्ट किया जाए तथा अधिक व्यय की गई राषि ₹4000/–की सक्षम अधिकारी से नियमितीकरण करवाया जाए अन्यथा ₹4000/–की उचित माध्यम से वसूली करके पहचान पत्र निधि में जमा किया जाए।

10 ₹1]53]160@&dh jkf’k dk vfxze Hkqxrkuksa dk dbZ o"kksZa ls lek;kstu u djuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राषियां अमैलगामेटिड निधि में से खेलकूद प्रतियोगिताओं व अन्य उद्देष्य हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी परन्तु अग्रिम प्रदान की गई राषियों का कई वर्षों से न तो समायोजन किया गया था तथा न ही अग्रिम राषियां दण्ड ब्याज सहित निधि में जमा की गई थी जो कि अनियमित ही नहीं अपितु छात्र निधि का दुरूपयोग है। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी अग्रिम भुगतान की गई राषियों का समायोजन/वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अग्रिम भुगतान की गई राषियों को समायोजन हेतु शीघ्र आवष्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए अन्यथा अग्रिम भुगतान की गई राषियों की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से शीघ्र करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से यथासमय इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए व भविष्य में आगामी अग्रिम उस स्थिति में ही जारी किया जाए जब पिछले अग्रिम का पूर्णत्या समायोजन कर लिया गया हो।

vfxze Hkqxrku djus dh frfFk	jkf’k Hkqxrku dh xbZ ¼₹½	vfxze Hkqxrku dk mís’;	ftls Hkqxrku fd;k x;k
18.09.2000	3000.00	परीक्षा संचालन हेतु	बी0एस0 नेगी
05.01.2001	5000.00	एन0एस0ण्स0 का कैम्प	जनक नेगी
31.03.2001	10000.00	वार्षिक परीक्षा संचालन	बी0एस0 नेगी
12.06.2004	860.00	जल–पान हेतु	रवि प्रकाष
12.09.2004	800.00	जल–पान हेतु	बी0एस0 नेगी
17.09.2004	10000.00	बास्केट बॉल प्रतियोगिता	सतीश नेगी
07.10.2004	11000.00	शैक्षणिक भ्रमण	जनक नेगी
20.10.2005	5000.00	शैक्षणिक भ्रमण	जनक नेगी
19.12.2005	25000.00	शैक्षणिक भ्रमण	जनक नेगी
14.10.2006	15000.00	इन्ट्रकॉलेज प्रतियोगिता	राजेश कुमार
14.10.2006	1500.00	बाली बॉल (महिला)	रूप लाल
08.11.06	6000.00	बाली बॉल (छात्र)	रूप लाल
22.11.06	2000.00	गृह परीक्षा	आर0मारकन्डेय
24.10.08	18000.00	शैक्षणिक भ्रमण	राजेश नेगी

11.02.11	22000.00	वार्षिक	राजेश नेगी
11.02.11	18000.00	वार्षिक	राजेश नेगी
	₹153160@&		

11 okÅpj l[;k 275] fnukd 09-05-2009] jkf'k ₹7500@& ½&

₹7500/–का भुगतान प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष को विद्यार्थियों के प्रवेष एवं फीस मनेजमैंट से सम्बन्धित साफ्टवेयर हेतु किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त साफ्टवेयर क्रय करने हेतु कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई तथा न ही क्रय किए गए साफ्टवेयर की अंकेक्षण के दौरान स्टॉक प्रविष्टियां दिखाई गई जिसके अभाव में भुगतान की गई राषि की सत्यापना नहीं की जा सकी। सम्बन्धित विभाग से साफ्टवेर प्राप्त करके स्टॉक प्रविष्टियां की जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा भुगतान की गई राषि की उचित माध्यम से वसूली करके निधि में जमा किया जाए।

12 okÅpj l[;k 210] fnukd 22-03-2006] jkf'k ₹17]450@& ½&

₹17,450/–की राषि का भुगतान मैं0 शर्मा इलक्ट्रीकल स्टोर रिकांगपीओ को बिजली के सामान क्रय करने हेतु किया गया। उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि बिजली के सामान क्रय करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार ₹1000/–से अधिक के क्रय हेतु कम से कम तीन निविदाएं आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी। निविदाएं आमंत्रित न करने के कारण प्रचलित बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया जो कि अनियमित है। सामान क्रय करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारण हुई हानि की भरपाई उचित माध्यम से करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 ¼d½ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान वाऊचरों द्वारा स्पोर्टस किट व ट्रैक सूट का क्रय किया गया था और खिलाड़ियों द्वारा 50% राषि जमा करने पर 100% मुल्य का सामान वितरित किया गया था।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि 50% राषि खिलाडियों से जमा करने पर अमलगामेटिड निधि से बकाया 50% राषि व्यय करने पर खिलाडियों को स्पोर्टस कीटों व ट्रैक सूटों का बटवारा किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में जिन खिलाड़ियों को स्पोर्टस किट व ट्रक सूट बांटे गए थे, उनका विवरण, सामान प्राप्त करने के एवज़ में प्राप्ति रसीद, महाविद्यालय में कमेटी का गठन जिनकी उपस्थिति मे खिलाड़ियों को स्पोर्टस किट दी गई, इत्यादि का कोई विवरण अभिलेख में मौजूद न था जिसके अभाव में क्रय

किए गए सामान व बांटे गए सामान की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

¼[k½ इसके अतिरिक्त विहित नियम, जिसके अन्तर्गत खिलाडियों को 50% राषि जमा करने पर अमलगामेटिड निधि से 100% मुल्य का खेलों का सामान वितरित किया जा सकता है, का उल्लेख किया जाए अन्यथा 50% राषि की वसूली उचित माध्यम से करके अमलगामेटिड निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

okÅpj l[;k	fnukad	Lkkeku dk eqY;	f[kykfM+;ksa ls ,df=r jkf'k	Lkkeku dk fooj.k
166	11.09.04	3229.00	1615.00	स्पोर्टस किट बास्केट बॉल
168	15.10.04	765.00	382.00	स्पोर्टस किट बाली बॉल (महिला)
169	21.10.04	3413.00	1706.00	स्पोर्टस किट बाली बॉल (पुरूष)
257	08.04.08	21361.00	10680.00	47 सैट ट्रैक सूट
		₹28768-00		

14 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अमलगामेटिड निधि से विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन व अन्य उद्देष्य हेतु अग्रिम राषियां प्रदान की गई थी परन्तु अग्रिमों से बकाया शेष राषियां तुरन्त निधि में जमा न करके कई मासों तक हस्तगत रखी गई थी जिससे निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिए जाते हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से देरी से जमा की गई अग्रिमों की शेष राषि पर दण्ड ब्याज की वसूली करके निधि में जमा किया जाए तथा भविष्य में अग्रिम राषियों से शेष बची राषि को निधि में कार्योपरान्त शीघ्र जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए :—

Ok0 l0	fnukad	vfxze jkf'k	lek;kstu jkf'k	cdk;k 'ks"k jkf'k	tek djus dh frfFk	nsjh ls tek fd,	n.M C;kt dh jkf'k	ftl vfxze Hkkxrku fd;k x;k
25	10.12.07	15000	10068	4932	01.04.08	113 दिन	183.00	जनक नेगी प्रवक्ता
25	10.12.07	15000	14268	732	01.04.08	113 दिन	27.00	मदन शांडिल

30	13.12.08	15000	10197	4803	21.01.09	39 दिन	62.00	जनक नेगी
191	18.08.05	16000	15165	835	18.10.05	62 दिन	17.00	डा0 सतीष नेगी
248	30.10.07	2500	2063	437	29.12.07	61 दिन	9.00	तेनजीन नेगी
249	07.11.07	9000	5814	3186	2912.07	53 दिन	56.00	तेनजीन नेगी
265	06.11.08	10000	6462	3538	05.12.08	31 दिन	66.00	दुर्गा चन्द
284	08.10.09	12000	10020	1980	19.11.09	43 दिन	28.00	रवि प्रकाष
168	15.10.04	15000	10603	4397	23.11.04	40 दिन	139.00	सतीश नेगी
169	21.10.04	10000	8677	1323	09.12.04	50 दिन	22.00	संजय कुमार
219	27.09.06	2000	900	1100	10.11.06	45 दिन	16.00	अशोक कुमार
							₹625-00	

15 <u>xg ijh{kk fuf/k</u> %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त निधि में से निम्नलिखित कागजों का गृह परीक्षा हेतु क्रय किया गया था और सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां की गई थी परन्तु क्रय किए गए कागजों के उपयोग से सम्बन्धित विवरण जैसे कि किस परीक्षा हेतु कागज का उपयोग किया गया, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, कितने–कितने कागज दिए गए और कितने कागज शेष बचे इत्यादि उपलब्ध न था जोकि अनियमित है। कागजों के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख परीक्षावार वर्षवार व कक्षावार तैयार किया जाए, जिसे आवष्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा क्रय किए गए कागजों के मुल्य की वसूली उचित माध्यम से की जाए :–

Okk0 l0	fnukd	dkxtksa dh l0	dkxtksa dk ewY;	ftllsØ; fd;k x;k
3	07.12.2005	5 रिम	980.00	सुनील बुक डिपो रिकांगपीओ
4	22.11.2006	7 रिम	1230.00	सुनील बुक डिपो रिकांगपीओ
6	26.12.2007	6 रिम	1200.00	सुनील बुक डिपो रिकांगपीओ
8	27.11.2008	13 रिम	2790.00	सुनील बुक डिपो रिकांगपीओ
10	30.11.2009	13 रिम	2475.00	सुनील बुक डिपो रिकांगपीओ
12	08.12.2010	13 रिम	2780.00	सुनील बुक डिपो रिकांगपीओ
			₹11455-00	

16 अंकेक्षण के दौरान भुगतान वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राषियों का भुगतान युनिवर्सिटी निधि से किया गया था जो कि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था और अनियमित है।

अतः सम्बन्धित निधि से राषि की निकासी करके युनिवर्सिटी निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

Okk0 l0	fnukad	jkf'k ¼₹½	ftl Hkqxrku fd;k x;k	ftl fuf/k ls Hkqxrku fd;k tkuk Fkk
66	04.03.11	1705.00	दुर्गा चन्द (क्रिकेट प्रतियोगिता)	मिश्रित निधि
67	07.03.11	1245.00	निगम प्रिंटिंग प्रैस (निमन्त्रण पत्र)	मिश्रित निधि
69	14.03.11	940.00	गैस सिलैण्डर की भरवाई	कैमिस्ट्री निधि

17 jSM&Økl fuf/k %&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या ई0डी0एन–एच(8)3(7)1/76–6, दिनांक 28.07.1994 द्वारा रैड–क्रॉस निधि को ₹6/–प्रतिवर्ष से घटाकर जीरो कर दिया अर्थात इस निधि की विद्यार्थियों से वसूली बन्द कर दी थी परन्तु महाविद्यालय रिकांगपीओ ने शैक्षणिक सत्र 2005–06 से ₹5/– प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से अनाधिकृत रूप से रैड–क्रॉस निधि की वसूली शैक्षणिक सत्र 2009–10 तक की जाती रही जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार उपरोक्त निधि में दिनांक 31.03.2011 को ₹11313/–जमा थे। उपरोक्त राषि को ब्याज सहित अमलगामेटिड निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 Hkqxrku ikfIr jlhnk dk iLrqr u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निधियों के व्यय वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान वाऊचरों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों का भुगतान किया गया था लेकिन राषि प्राप्त करने के एवज़ में प्राप्तकर्त्ता से कोई रसीद/पावती/ए0पी0आर0 प्राप्त नहीं की गई। बिना पावती/रसीद/ए0पी0आर0 के यह पुष्टि नही हो सकी कि वास्तव में जिसे भुगतान किया गया है उसे यह राषि प्राप्त हुई है या नहीं। अतः निम्न प्रकरणों में राषि प्राप्तकर्त्ता से रसीद/पावती/ए0पी0आर प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए :–

Okk0 l0	fnukad	jkf'k ¼₹½	ftl Hkqxrku fd;k x;k	ftl fuf/k ls Hkqxrku fd;k x;k Fkk
2	10.10.05	4,950.00	निदेशक, भारत स्काऊट एण्ड गाईड हिमाचल प्रदेष	आर0आर0 निधि
39	31.10.06	19,926.00	वित्त अधिकारी हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय	युनिवर्सिटी निधि
43	29.11.06	27,180.00	वित्त अधिकारी हिमाचल प्रदेष	युनिवर्सिटी निधि

			विष्वविद्यालय	
48	18.12.07	22,540.00	कुल सचिव हिमाचल प्रदेष विष्वविधालय	युनिवर्सिटी निधि
59	27.04.10	4290.00	वित्त अधिकारी हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय	युनिवर्सिटी निधि
164	21.08.04	5,552.00	ग्लोबल सिस्टम रिकांगपीओ	मिश्रित निधि

19 <u>Nk= lgk;rk fuf/k</u> %&

महाविद्यालय की छात्र सहायता निधि में दिनांक 31.03.2011 तक बैंक खाता संख्या 12443 में ₹11086/–की राषि जमा थी। हिमाचल प्रदेष षिक्षा संहिता के पृष्ट 75 के अनुसार विष्वविद्यालय अनुदान आयोग से महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अनुदान प्राप्ति होती है परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान इस महाविद्यालय को विष्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई भी अनुदान राषि प्राप्त नहीं हुई थी न ही महाविद्यालय द्वारा अनुदान आयोग से छात्र सहायता निधि हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी। जो कि अनियमित है। अतः प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रिकांगपीओ विष्वविद्यालय अनुदान आयोग से षिक्षा संहिता के नियमों के प्रावधानों के दृष्टिगत अवधि 8/94 से 3/11 तक अनुदान की राषि प्राप्त करने हेतु उचित पग उठाएं तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें।

20 <u>jlhn cqd</u> %&

टी0एस0नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपीओ द्वारा विद्यार्थियों से शुल्क एंव निधियों की वूसली रसीदों द्वारा की जाती रही है परन्तु अंकेक्षण के दौरान रसीद बुकें महाविद्यालय को कहां से प्राप्त हुई थी तथा कौन सी रसीद बुक कब और किसको वसूली हेतु जारी की गई थी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान उपयोग की गई रसीद बुकों को प्राप्ति एंव जारी किए जाने का विवरण तैयार किया जाए तथा पूर्ण विवरण को स्टॉक रजिस्टर सहित पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि रसीद बुकों का उपयोग क्रमानुसार (सीरियल वाईज) नहीं किया जा रहा था जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी रसीद बुक निधि एकत्रित करने वाले के हाथ लगती थी उसी का इस्तेमाल कर लिया जाता था जो कि अनियमित है। अतः भविष्य में रसीद बुकों का उपयोग क्रमांकानुसार ही किया जाना सुनिष्चित किया जाए जिससे पिछली षेष बची खाली रसीद बुकों का दुरूपयोग न हो सके :–

jlhn l[;k	mi;ksx dh vof/k
551751 से 551800	25.11.2004 से 20.04.2005

551501 से 551750	20.07.2005 से 08.10.2005
551351 से 551400	02.12.2005 से 08.12.2005
551451 से 551500	08.12.2005 से 14.12.2005
551251 से 551350	04.03.2006 से 07.03.2006
551001 से 551150	07.03.2006 से 18.03.2006
581951 से 582000	28.06.2005 से 12.07.2005
581001 से 581050	18.03.2006 से 20.03.2006
475901 से 475950	10.07.2007 से 07.08.2007
475501 से 475750	08.08.2007 से 10.03.2008
475801 से 475900	10.03.2008 से 24.10.2008
147951 से 148000	08.03.2011 से 09.03.2011
147901 से 147950	09.03.2011 से 10.03.2011

21 vuqi;ksxh LVkj o LVkd dh uhykeh %&

महाविद्यालय द्वारा निधियों में से क्रय की गई सभी वस्तुएं/सामान जो उपयोग योग्य नहीं रह गया है का अंकेक्षण की अवधि तक कोई नीलामी नहीं की गई थी। अतः महाविद्यालय नियमों का पालन करते हुए सभी अनुपयोगी वस्तुएं व अखबारों आदि की निलामी करना सुनिष्चित करें तथा इस प्रकार प्राप्त राषि को निधि में जमा करवाया जाए और अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

22 अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निधियों से क्रय किए गए सामान के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव उचित प्रकार नहीं किया जा रहा था तथा स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर कई प्रकार के सामान की स्टॉक प्रविष्टियां की गई थी जिससे क्रय किए गए सामान की अलग–अलग मात्रा की गणना नहीं की जा सकी जो कि अनियमित है। विभिन्न निधियों से क्रय किए गए सामान/वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर वस्तुवार/सामानवार प्रविष्टियां की जाए ताकि सामान की अलग–अलग मात्रा की गणना की जा सके।

इसके अतिरिक्त क्रय किए गए समस्त सामान/वस्तुओं का मास 8/1994 से 3/2011 तक का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा प्रत्यक्ष सत्यापना के परिणाम से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत किया जाए।

23 y?kq vkifr foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 fu"d"kZ %& लेखों में अधिक सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)सी(15)11(9)39/05 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i|thd`r 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रिकांगपीओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें ।

2. निदेषक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.
3. उप निदेषक षिक्षा किन्नौर, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½